प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मण्डरायल

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारीः– सुरेश चन्द गोयल R.A.S.

उनवान

कमरुद्दीन वगैरह बनाम गनी खाँ वगैरह [शेष पुष्ठ पर दर्ज]

दावा बाबत 53, 88, 188 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 31/2016

निर्णय दिनांक :– 9.6.17

वादी की ओर से श्री विष्णुचंद बंसल Adv की व प्रतिवादी की ओर से श्री संजेश शर्मा, श्री उमाशंकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.06.2017 को सुरेश चन्द गोयल (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख.न. 2217, 2218, 2219 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ग्राम भांकरी तह० मण्डरायल वादीगण के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 82 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ग्राम लाला का पुरा तह० मण्डरायल प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। ख.न. 2212 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भांकरी प्रतिवादी नं. 4 ता 8 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। ख.न. 1792 लगा. 1802 [शेष पुष्ठ पर दर्ज]

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 09-06-17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर)

(उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल (करौली))

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर मण्डरायल

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

अधीन

1. कमरुद्दीन
2. निजामुद्दीन] पुत्रान अलबू
3. जुबेदा पुत्री अलबू
4. बसन्ती पत्नी स्व. अलबू] जातियान तेली मुसलमान निवासीयान भोंकरी तहसील मण्डरायल जिला-करौली

— वादीगण

बनाम

1. गनी पुत्र जाबुद्दीन जाति तेली मुसलमान निवासी-भोंकरी तह. मण्डरायल
2. अंगूरी
3. हल्की] पुत्री जाबुद्दीन जाति तेली मुसलमान निवासी-भोंकरी
4. हईबुल्ला
5. महबूब
6. अब्दुला] पुत्रान शमसुद्दीन जाति तेली मुसलमान निवासी-भोंकरी
7. सईदो पुत्री शमसुद्दीन
8. पत्तर पुत्री शमसुद्दीन] जातियान तेली मुसलमान निवासी भोंकरी
9. श्रीमति मुनेशी देवी w/o अमरलाल जाति-मीना निवासी-भोंकरी
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला-करौली

— प्रतिवादीगण

%— कुल किता 11 कुल रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा ग्राम भोंकरी तह० मंडरायल प्रतिवादी न.9 की खातेदारी व कब्जे में रहेगी। प्रतिवादी न.10 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण न.1 ता 9 के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रति. सं. 9 के प्रतिनिधि उत्तर वास्ते जवाब पेश हो। सं. 3 व 10 पत्रावली दि. 24/3/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
24/3/17	पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उप. प्रति. सं. 1 की ओर से उत्तर प्रतिनिधि उप. प्रति. 1 से 3 की ओर से जवाब पेश हुआ, नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते तनकी कायमी आयन्दा दि. 19/5/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19/5/17	पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उप. तनकीयात कायम की जाकर explain की गई तथा शामिल पत्रावली कराई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि. 9/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-6-17 वादी नं. 3 [illegible] [illegible] मोहम्मद हुसैन निजामुद्दीन नि. जावेद नि. [illegible] नि. [illegible] प्रतिवादी नं. 2 [illegible] [illegible] वकील [illegible]	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भांकरी पर प्रस्तुत हुयी। वकील फरीकैन मय उभय पक्षकारगण वादी नं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी नं. 1, 3 व 9 के उपस्थित। साक्ष्य वादीगण में वादी PW1 कमरूद्दीन का शपथ पत्र वकील वादीगण ने पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। वकील वादीगण के साक्ष्य वादी समाप्त करने पर साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। वकील प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की जाती है। वादी नं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी नं. 1, 3, 9 ने असालतन एवं वादी नं. 3 की ओर से श्री विष्णुचंद बंसल एडवोकेट ने तथा प्रति. नं. 2 की ओर से श्री इमामुद्दीन खान एडवोकेट ने तथा प्रति. नं. 4 से 8 की ओर से श्री संजेश शर्मा एडवो.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बहस वकील उभय पक्षगान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं मजमेआम में जानकारी की गई। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2010-2013 प्रदर्श-1 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत-2015 से विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण के पितामह सनाउल्ला पुत्र खुदाबक्स जाति तेली मुसलमान नि. भांकरी के समय की पुश्तैनी होना एवं वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 ता 8 के पितामह के मध्य विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व होना एवं बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि पर काबिज काश्त बतौर हक आज तक होना वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य वादीगण PW1 कमरूद्दीन से होना प्रकट है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का सनाउल्ला के समय की होना जवाब दावा प्रति. न. 1 ता 8 से स्वीकृत है एवं प्रतिवादी न. 1 ता 8 द्वारा बाहमी बंटवारा भी राजीनामा व जवाबदावा प्रति न. 4 ता 8 से स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी ख. न. 2217, 2218, 2219 कुल 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ग्राम - भांकरी तह० मण्डरायल वादीगण के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। एवं आराजी ख. न. 82 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ग्राम लाला का पुरा तह० मण्डरायल प्रति न. 1 ता 3 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी एवं ख. न. - 2212 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ग्राम - भांकरी प्रतिवादी न. 4 ता 8 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। तथा ख. न. 1792 लगा. 1802 कुल किता 11 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भांकरी तह० मण्डरायल प्रति न. 9 की खातेदारी व कब्जे में रहेगी। प्रतिवादी न. 10 उक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 ता 9 के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करें तदानुसार